न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 117/2021 निर्णय दिनांकः 30-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2021/211)

1. खुदाबक्स पुत्र श्री अजीम खां जाति मुसलमान निवासी गंगाजली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—05—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30—05—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/40 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सद्भावी निवासी व काश्तकार का सबूत पेश नहीं किये जाने के कारण अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त सबूतों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा सद्भावी निवासी व काश्तकार का सबूत पेश नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि अपीलांट उक्त आवेदित रकबे में वरियता में भूमि आवंटित नहीं करवा सका है तो विशेष आवंटन के नियमों के तहत अपीलांट आज भी भूमि पाने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट का पेशा खेती का है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–05–1998 के विरूद्व अपील दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

13—09—2021 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवेदन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—05—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 13—09—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत यथा सद्भावी निवासी एवं काश्तकार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 3 एमजीडब्लयूएम के मुरब्बा नम्बर 78/40 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत की प्रथम आदेशिका दिनांक 20—03—1998 में यह अभिलिखित किया गया था कि प्रार्थी को सबूत पेश करने का नोटिस जारी किया जावे। तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 18—05—1998 को सबूत पेश करने संबंधी कोई नोटिस जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। एवं दिनांक 30—05—1998 को प्रार्थी द्वारा सबूत पेश नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत कोई कार्यवाही का अंकन किया गया।

यदि आवेदक आवेदित रकबे में सबूत पेश नही करने के कारण भूमि आंवटन नहीं करवा सका तो विशेष आंवटन के नियमों के तहत अपीलांट अन्य भूमि पाने का हकदार होता है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा कई नजीरें एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त विवेचना व न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–05–1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों जॉच करते हुए नियमानुसार अपीलांट के आवेदन पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 30-12-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर